छत्तीसगढ़ विधान सभा
पत्रक भाग –दो
सोमवार, दिनांक 5 मई,2014 (वैशाख 15, 1936)

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, जिला –कोरबा, की ओर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.04.2014 जो इस सचिवालय में दिनांक 30.04.2014 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

जिला कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत विधायक गुण्डरदेही, श्री राजेन्द्र कुमार राय के द्वारा दिनांक 23.04.2014 को चुनाव प्रचार समाप्त होने के उपरांत चुनाव प्रचार करते पाये जाने से तहसील डी.आर.मारगिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 166/14, धारा 126–क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 188 भादवि में दिनांक 23.04.2014 को 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार दिनांक 23.04.2014 को थाना करतला के अपराध क्रमांक 49/14 धारा 341, 294, 323, 506, 427, 147, 148, 342, 149, 365, 324 भादवि की विवेचना में नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री कीर्तन राठौर स्टॉफ के साथ ग्राम भैसमा आए थे उक्त अपराध के फरार आरोपी मोहिन्दर सिंह के तलाश के दौरान विधायक श्री राजेन्द्र कुमार राय के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर भय कारित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक, श्री कीर्तन राठौर की रिपोर्ट पर थाना उरगा में विधायक श्री राजेन्द्र कुमार राय के विरूद्ध अपराध क्रमांक 165/14 धारा 186, 353, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । उक्त अपराध में विधायक श्री राजेन्द्र कुमार राय, गुण्डरदेही को दिनांक 23.04.2014 के 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त दोनों अपराध की विवेचना अपूर्ण होने से माननीय न्यायालय कोरबा में न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.